महिलाओं और किशोरियों के खिलाफ हिंसा

अपने कानूनी अधिकार जानें

2019

M . A . P

Migration & Asylum Project

An Initiative of The Ara Trust

भूमिका

भारत के कानून नस्ल व नागरिकता से इतर, हर उस महिला व बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केन्द्रित हैं जो भारत की परिधि में यौन हिंसा, शोषण या घरेलू हिंसा के शिकार हुए हों. हालाँकि ऐसी ज्यादातर घटनाएं अप्रतिवेदित रह जाती हैं.

शरणार्थी और आश्रय की मांग कर रही महिलाएं अपनी कानूनी स्थिति की अनिश्चितता और वापिस भेजे जाने के डर से अपने ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठातीं, हालाँकि भारतीय कानून हर उस महिला व लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केन्द्रित हैं जो भारत की परिधि में रह रही हों.

अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी खुद को सशक्त करने की दिशा में पहला कदम है.

यह कुंजिका आपको आपके अधिकारों से अवगत कराएगी और यह भी बताएगी कि खुद पर या किसी जानने वाले पर शोषण होने की स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं.

इसमें उन संस्थाओं और सहायता नंबरों की भी सूची है जिन्हें आप मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं.

बलात्कार

हम सबसे जघन्य अपराधों में से एक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं – बलात्कार, बलात्कार क्या है?

सेक्स या कोई भी अन्य यौनिक भेदन जो किसी यौनिक अंग या किसी भी अन्य शारीरिक अंग अथवा किसी बाह्य वस्तु से पीड़ित की सहमती के बगैर किया गया हो.

पर सहमती की योग्यता के मानक क्या हैं?

यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप सहमती देने के लिए नाबालिग हैं, फिर चाहे वह आदमी आपका पति ही क्यों न हो.

यदि आपने इसलिए हामी भरी क्योंकि आपको डर था कि आपको या किसी और को मारा जा सकता है या चोट पहुँचाई जा सकती है तो आपकी सहमती अमान्य है.

यदि आप
1)नशे में थीं और नहीं जानती थीं की आप किस बात के लिए सहमती दे रही हैं, या
2) सहमती व्यक्त करने की स्थिति में नहीं थीं, या
3) मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थीं, तब भी आपने सहमती नहीं की

यदि जबरदस्ती आपके पति द्वारा की गयी है तो वह बलात्कार नहीं घरेलू हिंसा है. यदि आप अपने पति से अलग रहती हैं और फिर भी पति आपकी असहमति होते हुए जबरदस्ती करता है तो वह बलात्कार है.

यदि मेरा बलात्कार हुआ है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए?

किसी भी **अस्पताल** (निजी या सरकारी) में आपकी मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी और पुलिस को अवगत कराया जायेगा.

पुलिस आपका बयान लेगी, **प्राथमिकी** दर्ज करेगी और स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाएगी.

स्वयंसेवी संस्था या वकील पुलिस स्टेशन या अस्पताल जाने में आपकी सहायता कर सकता है. ऐसे कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की जानकारी इस कुंजिका के अंत में दी गयी है.

सबूत बचाए रखने के लिए कोशिश करें कि स्वास्थ्य जांच पूरी होने तक नहाएं नहीं, कपड़े न बदलें ना ही शौच का इस्तेमाल करें.

आप किसी भी पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं. इसके बाद आपको एक मजिस्ट्रेट से अपने केस के बारे में बात करनी होगी.

फिर इसके बाद क्या होगा?

यह मामला न्यायालय जायेगा जहाँ एक सरकारी वकील निःशुल्क आपकी तरफ से जिरह करेंगे.

हो सकता है आपको सबूत प्रस्तुत करने पड़ें पर यह एक महिला जज की उपस्थिति में बंद कमरे में होगा.

दोषी पाए जाने पर आदमी को जेल भेज दिया जायेगा, उसे मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है.

आप अपने वकील की मदद से मुआवज़े की भी मांग कर सकती हैं.

यौन हिंसा के अन्य प्रकार

अनचाहा स्पर्श – जब कोई पुरुष किसी महिला को उसकी सहमति के बिना स्पर्श करता है या ऐसे स्पर्श करता है जो महिला को असहज लगे.

संभोग के अनचाहे प्रस्ताव – जब कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश करता है

महिला को जबरन अश्लील चित्र या फिल्म दिखाना – जब कोई पुरुष किसी महिला को बिना उसकी सहमति के अश्लील चित्र या फिल्म दिखाता है

दर्शनरति – जब कोई पुरुष किसी महिला को बिना उसकी सहमति के नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए, शौच करते हुए या अन्य ऐसे काम करते हुए देखता है, उसकी तस्वीर खींचता है या फिल्म बनाता है

पीछा करना - जब कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका लगातार पीछा करता है, व्यक्तिगत या अन्य माध्यम जैसे कि फ़ोन, ईमेल आदि से लगातार संपर्क करने की कोशिश करता है

सार्वजनिक स्थान पर महिला को कपड़े उतारने पर मजबूर करना - जब कोई पुरुष किसी महिला को सार्वजनिक स्थान पर या अन्य लोगों के सामने कपड़े उतारने पर मजबूर करता है

यदि आपके साथ इनमें से किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा हो या ऐसे किसी व्यक्ति को जानती हों जो उत्पीड़ित हो तो यहाँ जा सकती हैं

पुलिस आपका बयान लेगी, प्राथमिकी दर्ज करेगी और यदि आवश्यकता हो तो अस्पताल ले जाएगी जहाँ निःशुल्क उपचार होगा

स्वयंसेवी संस्था या वकील पुलिस थाने या अस्पताल जाने में आपकी मदद कर सकते हैं

आप व्यक्तिगत रूप से या लिखित में भी शिकायत कर सकती हैं, पुलिस यह शिकायत दर्ज करेगी

इसके बाद आपको अपने केस के बाबत एक मजिस्ट्रेट (दंडाधिकारी) से भी बात करनी होगी

बलात्कार के मामले की तरह ही यह मामला भी न्यायालय जायेगा जहाँ एक सरकारी वकील निःशुल्क उस पुरुष के खिलाफ आपका केस लड़ेगा.

हो सकता है आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ें पर अपराध देखते हुए हो सकता है यह एक बंद कमरे में महिला जज की उपस्थिति में हो.

यदि आरोप साबित हुआ तो पुरुष को जेल में डाल दिया जायेगा

घरेलू हिंसा

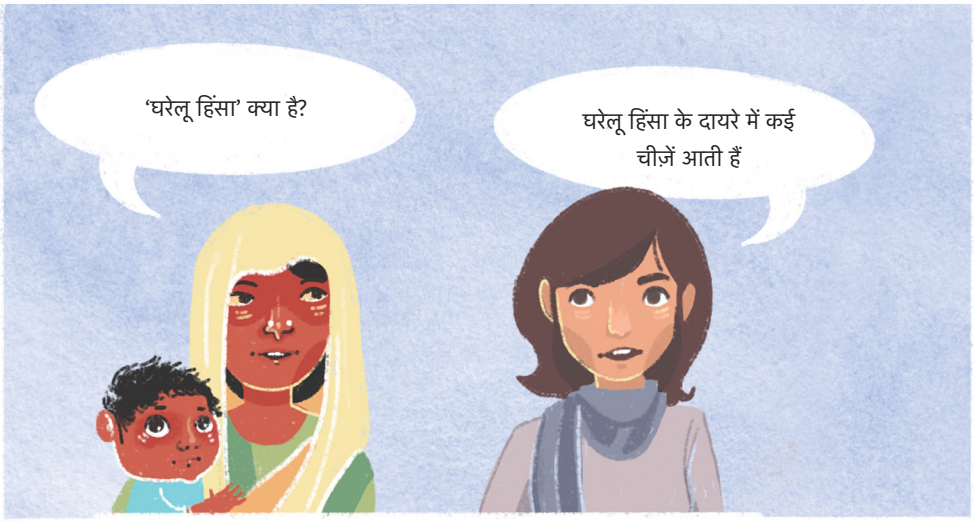

शारीरिक उत्पीड़न
लात-घूसे मारना, चोटिल करना, हिंसा या हत्या की धमकी देना

यौन उत्पीड़न
जबरन सम्भोग करना, आपको जबरदस्ती अश्लील चित्र या फिल्म दिखाना

मौखिक और मानसिक उत्पीड़न
आपको जलील करना, ताने मारना या बेइज्जत करना, बच्चे पैदा न करने के लिए कोसना आदि

आर्थिक उत्पीड़न
आपको और आपके बच्चों को रोज़-मर्रा की चीज़ों से वंचित करना, आपकी सहमति के बिना कीमती सामन बेच देना, आपको और आपके बच्चों को घर से निकाल देना, काम न करने देना आदि

परिवार का कोई भी सदस्य जिसके साथ आप रह रही हों आपके साथ घरेलू हिंसा कर सकता है, जैसे कि आपका पति, पिता, भाई या सास.

यदि मैं या मेरा कोई जानकार घरेलू हिंसा का शिकार है तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आपको चोट लगी हो तो नजदीकी सरकारी अस्पताल जायें, यहाँ आपको निःशुल्क उपचार पाने का अधिकार है, जिससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता.
महिला सहायता नंबर 1091 पर फ़ोन करें या किसी स्वयंसेवी संस्था अथवा पुलिस को फ़ोन करें और अपने इलाके के सुरक्षा अधिकारी के लिए पूछें.

अधिकारी आपकी शिकायत दर्ज करेंगे, यदि आवश्यकता हो तो अस्पताल ले जायेंगे और आपके रहने के लिए एक वैकल्पिक एवं सुरक्षित जगह का इंतज़ाम करेंगे.

लेकिन मुझे डर है कि अगर मेरे घरवालों को पता चल गया तो क्या होगा.

अधिकारी आपको स्थानीय मजिस्ट्रेट तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं और राहत एवं सुरक्षा दिला सकते हैं.

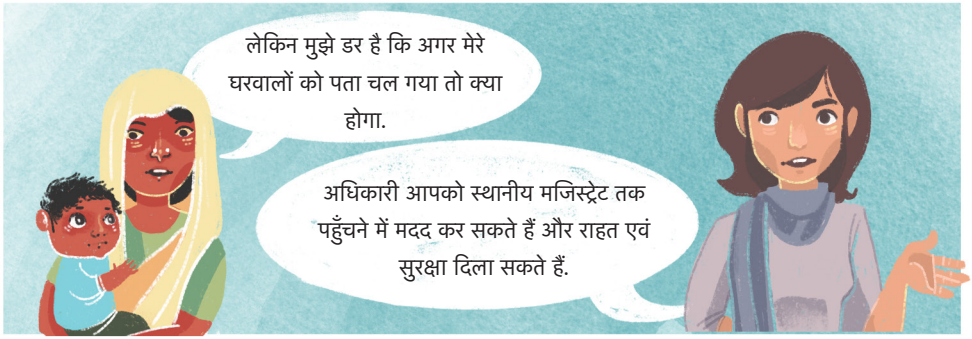

आदेश यह हो सकता है कि

शोषक और हानि न पहुँचाने पाए, उस पर अंकुश लगे

शोषक को घर से निकलवाया जाए

आपको घर में रहने की अनुमति मिले

आर्थिक मुआवजा मिले

बच्चों का संरक्षण आपके पास रहे

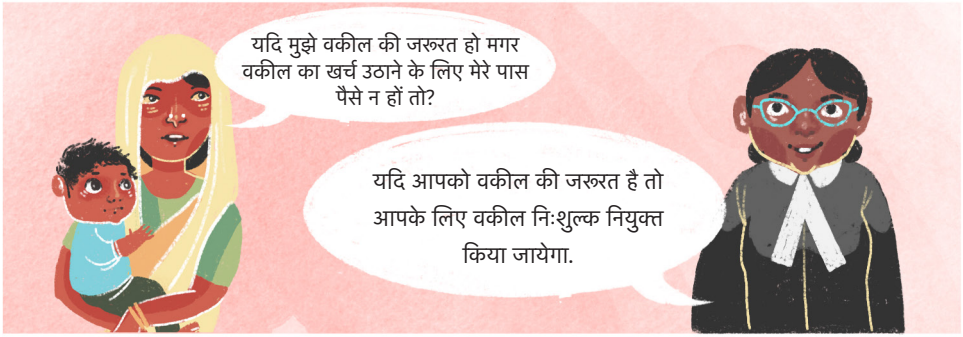
यदि मुझे वकील की जरूरत हो मगर वकील का खर्च उठाने के लिए मेरे पास पैसे न हों तो?
यदि आपको वकील की जरूरत है तो आपके लिए वकील निःशुल्क नियुक्त किया जायेगा.

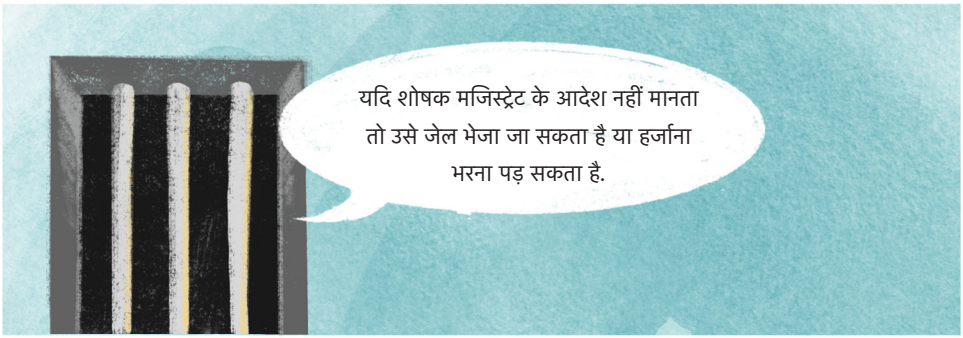
यदि शोषक मजिस्ट्रेट के आदेश नहीं मानता तो उसे जेल भेजा जा सकता है या हर्जाना भरना पड़ सकता है.

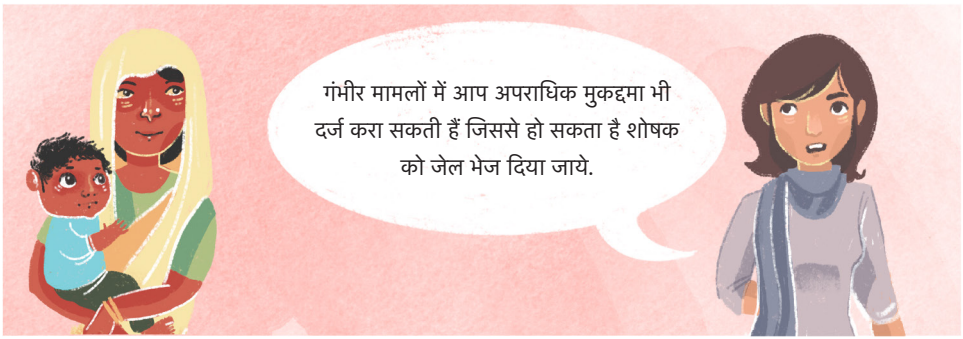
गंभीर मामलों में आप अपराधिक मुकद्दमा भी दर्ज करा सकती हैं जिससे हो सकता है शोषक को जेल भेज दिया जाये.

जबरन विवाह

यदि किसी महिला या लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने पर मजबूर किया जा रहा है तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत यह दुराचार की श्रेणी में आता है. यदि जबरदस्ती शादी कराने के लिए लड़की का अपहरण होता है तो यह एक अपराधिक मामला है.

आप महिला सहायता नंबर 1091 पर फ़ोन कर सकती हैं 2) या किसी स्वयंसेवी संस्था से मदद ले सकती हैं या 3) पुलिस से मदद ले सकती हैं और अपने क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं. आप स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकती हैं.

यदि आप या आपकी जानकारी में किसी का भी जबरन शादी कराने के लिए अपहरण किया गया हो तो नजदीकी थाने में जा कर प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है. आप मदद के लिए किसी स्वयंसेवी संस्था या वकील से भी संपर्क कर सकती हैं.

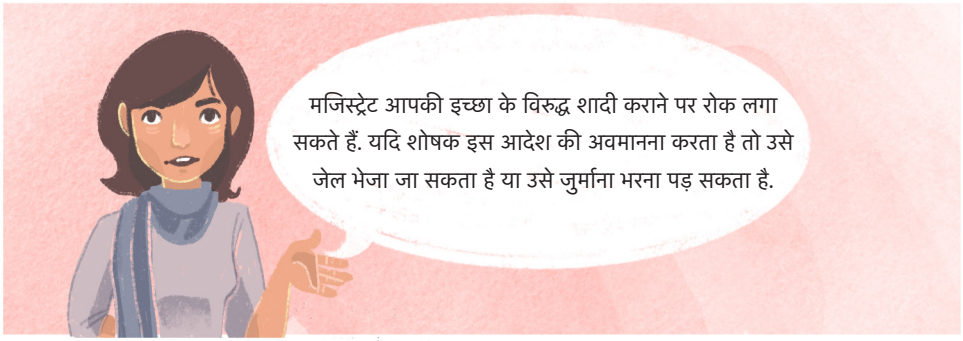
मजिस्ट्रेट आपकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराने पर रोक लगा सकते हैं. यदि शोषक इस आदेश की अवमानना करता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है या उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है.

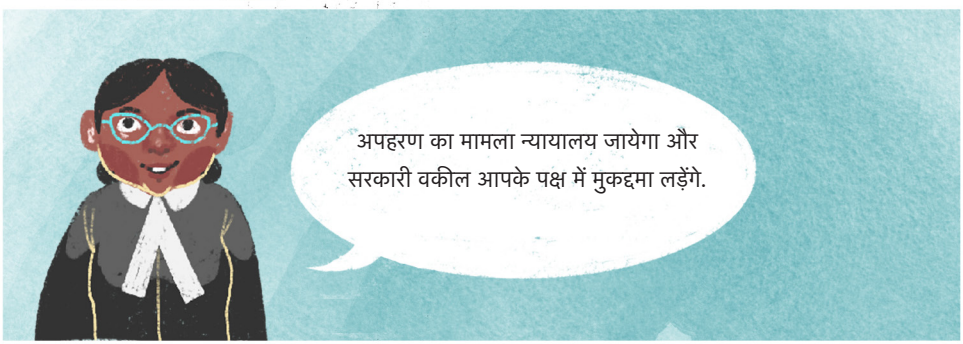
अपहरण का मामला न्यायालय जायेगा और सरकारी वकील आपके पक्ष में मुकद्दमा लड़ेंगे.

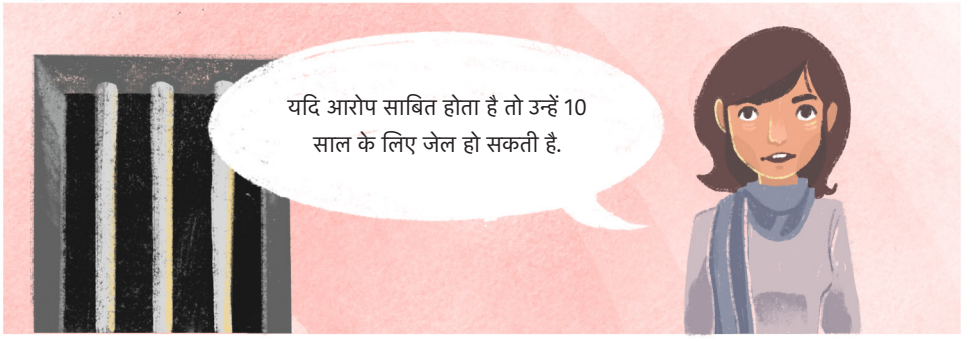
यदि आरोप साबित होता है तो उन्हें 10 साल के लिए जेल हो सकती है.

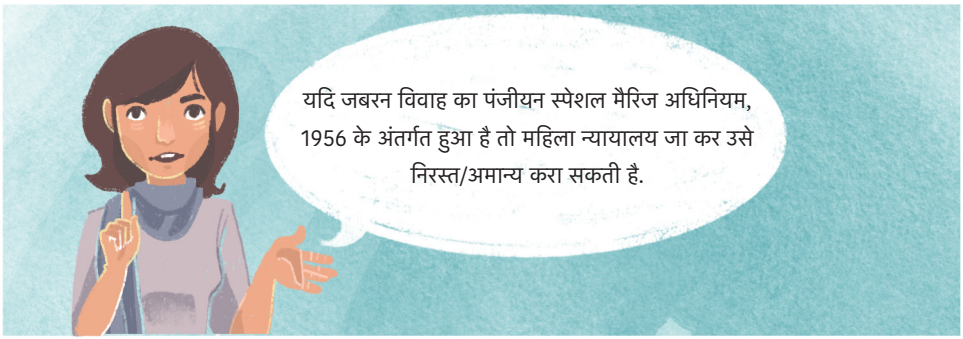
यदि जबरन विवाह का पंजीयन स्पेशल मैरिज अधिनियम, 1956 के अंतर्गत हुआ है तो महिला न्यायालय जा कर उसे निरस्त/अमान्य करा सकती है.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

कार्यस्थल पर यौन शोषण में अनचाहे व्यवहार शामिल हैं जैसे कि:

अनचाहा शारीरिक स्पर्श

संभोग की मांग

अश्लील या यौनिक टिप्पणी

अश्लील चित्र व विडियो दिखाना या भेजना

यह भी हो सकता है कि यौनिक सम्बन्ध के एवज में आपके हित में पक्षपात करने का वादा किया जाए या प्रस्ताव नकारने पर आपकी मुश्किलें बढ़ा दी जायें.

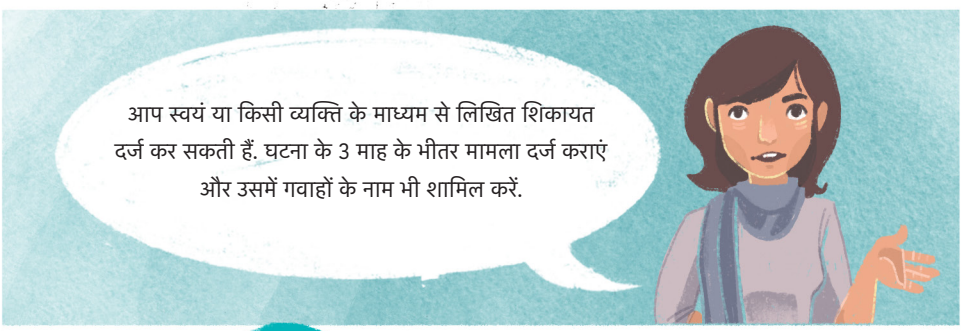

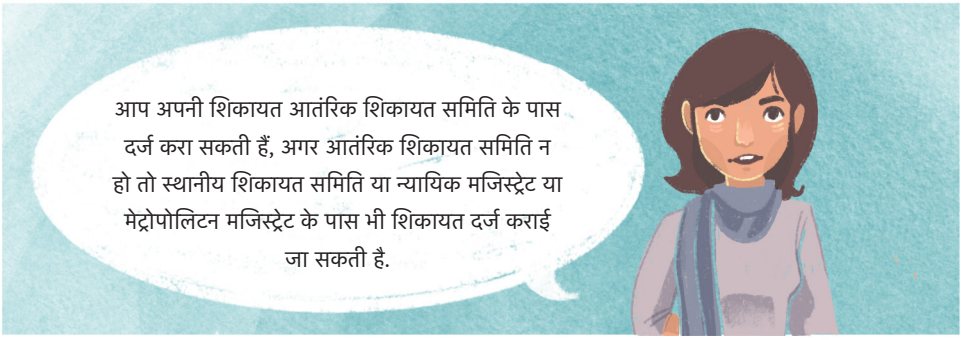

यदि आपके आरोप सही पाए जाते हैं तो राहत के तौर पर शोषक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है, लिखित माफ़ीनामा मांगा जा सकता है, पदोन्नति पर रोक लग सकती है या फिर उसकी नौकरी भी जा सकती है. हो सकता है आपको शोषक से आर्थिक मुआवजा भी दिलाया जाये.

वेश्यावृत्ति

जब कोई यौनिक क्रिया किसी भुगतान के एवज में की जाये जैसे कि पैसा, भोजन या आवास तो उसे वेश्यावृत्ति कहा जाता है. कई बार जब महिलाओं के पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होता तो गुजारे के लिए मजबूरन उन्हें वेश्यावृत्ति का सहारा लेना पड़ता है.

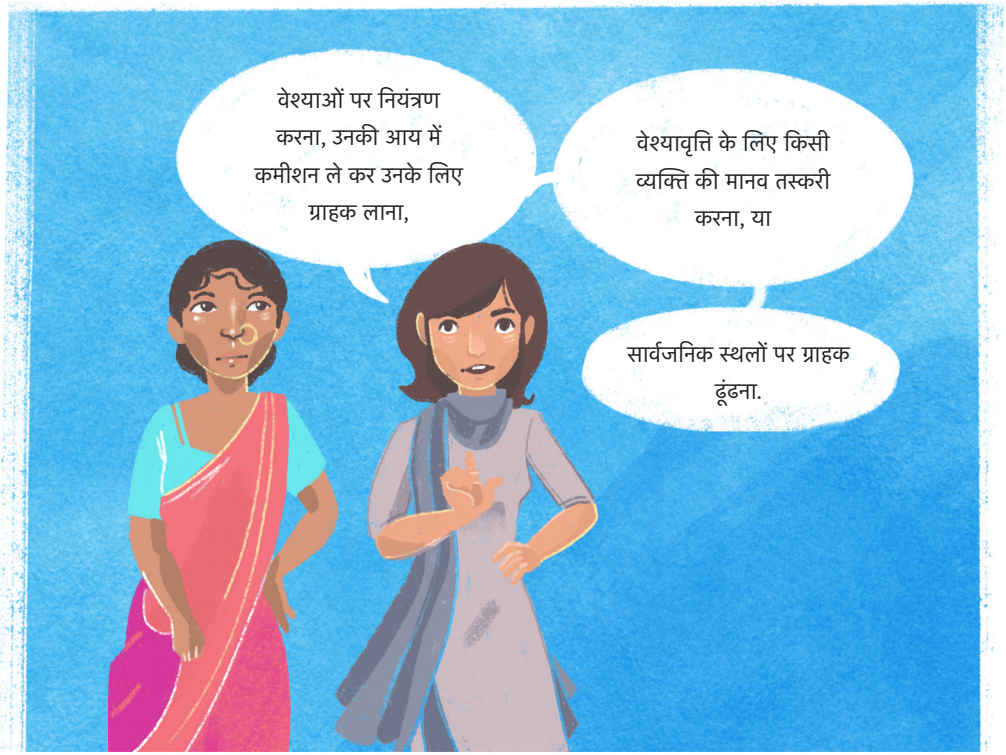
वेश्याओं पर नियंत्रण करना, उनकी आय में कमीशन ले कर उनके लिए ग्राहक लाना,
वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति की मानव तस्करी करना, या
सार्वजनिक स्थलों पर ग्राहक ढूंढना.

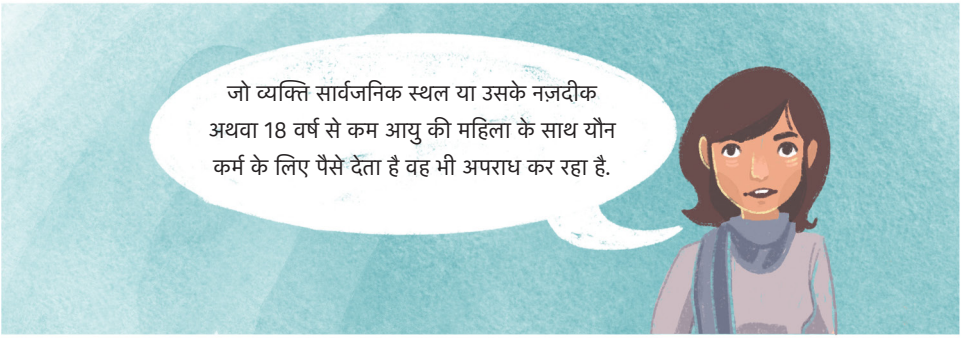
जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थल या उसके नज़दीक अथवा 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ यौन कर्म के लिए पैसे देता है वह भी अपराध कर रहा है.

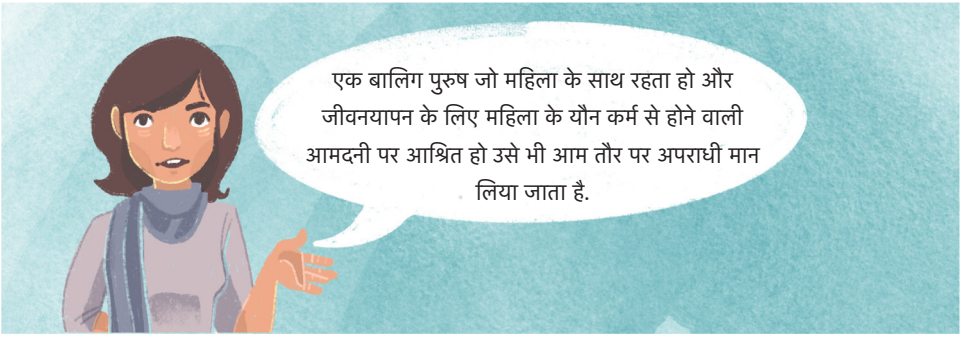
एक बालिग पुरुष जो महिला के साथ रहता हो और जीवनयापन के लिए महिला के यौन कर्म से होने वाली आमदनी पर आश्रित हो उसे भी आम तौर पर अपराधी मान लिया जाता है.

यदि मैं या मेरी जानकारी में कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो तो उसे कहाँ जाना चाहिए?

पुलिस आपका बयान लेगी, प्राथमिकी दर्ज करेगी और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाएगी.

स्वयंसेवी संस्थान या वकील पुलिस थाने या अस्पताल जाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

उसके बाद जिस परिसर से वेश्यावृत्ति का काम हो रहा हो पुलिस उसकी तलाशी लेगी और उन महिलाओं और लड़कियों को छुड़ाएगी जिन से जबरन वेश्या कर्म करवाया जा रहा हो.

महिलाएं और बच्चे जिन से जबरन वेश्यावृत्ति करायी जा रही हो उनकी जांच एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से करायी जाएगी.

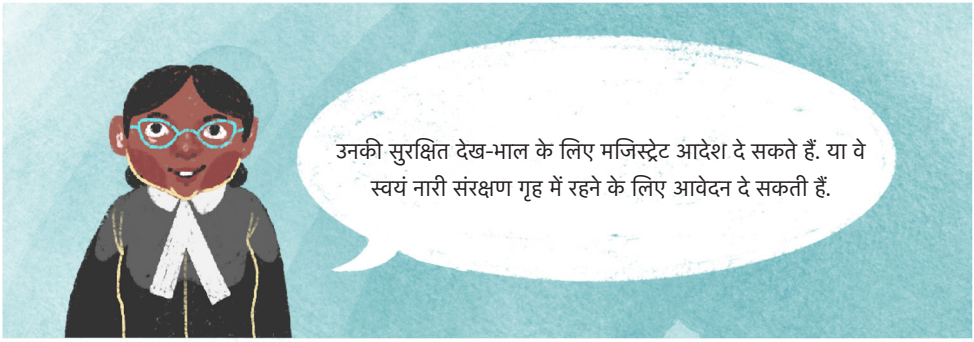
उनकी सुरक्षित देख-भाल के लिए मजिस्ट्रेट आदेश दे सकते हैं. या वे स्वयं नारी संरक्षण गृह में रहने के लिए आवेदन दे सकती हैं.

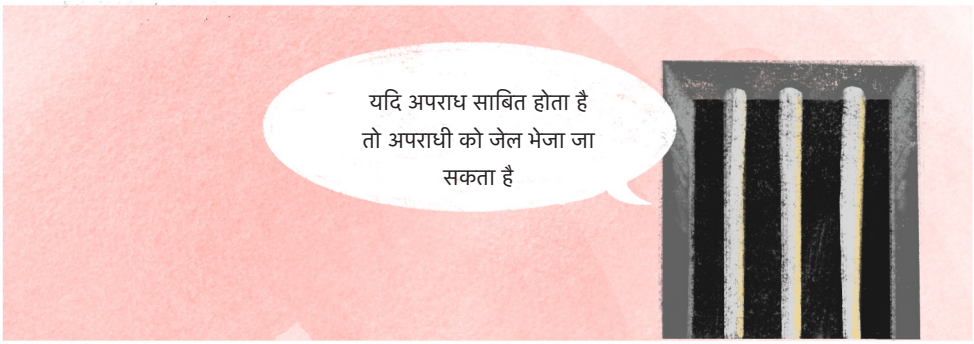
यदि अपराध साबित होता है तो अपराधी को जेल भेजा जा सकता है

आपातकालीन नंबर

पुलिस: 100
एम्बुलेंस: 102

महिला हेल्पलाइन
1091 (परेशानी में फँसी महिलाओं की सहायता हेतु)
181 (घरेलू हिंसा)
बच्चों की हेल्पलाइन : 1098
अश्लीलता विरोधी/पीछा एवं छेड़-छड विरोधी हेल्पलाइन: 1096

अन्य संसाधन

राष्ट्रीय महिला आयोग: 011-2322845
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: 011-23385368 / 9810298900

दिल्ली में हेल्पलाइन

दिल्ली महिला आयोग : 011-23370597 / 23379181
दिल्ली महिला आयोग बलात्कार पीड़िता हेल्पलाइन : 011-23370557
दिल्ली महिला आयोग मोबाइल हेल्पलाइन : 1800-11-9292

दिल्ली में संस्थाएं

डॉक्टर विदाउट बॉर्डर (24 घंटे स्वास्थ्य सेवा, महिला आश्रय एवं परामर्श)
18001021075 / 011-27642481
शक्ति शालिनी (महिला संरक्षण गृह, संकटकालीन हस्तक्षेप, परामर्श)
011-24373737 / 011-24372437
जागोरी (महिलाओं के लिए सहायता एवं परामर्श केंद्र)
011-26692700 / 8800996640
हक बाल अधिकार केंद्र (बच्चों के यौन शोषण सम्बन्धी)
011-26677412
नाज़ फाउंडेशन (समलैंगिक पुरुष एवं महिलाओं, उभयलिंगी और किन्नर व्यक्तियों एवं एच.आई.वी/एड्स के लिए सहायता सेवाएं
011-26321830 / 011-40793156

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय से जुडी संस्थाएं

सोसिओ-लीगल इनफार्मेशन सेंटर (एस.एल.आई.सी)

(एस.एल.आई.सी)
576, मस्जिद रोड, जंगपुरा
नई दिल्ली - 110014

बोस्को

भवन नं – 1-1/6A, मंदिर रोड
भोगल. जंगपुरा
नई दिल्ली – 110014
फ़ोन: 011-24377910
ईमेल: suiningr@gmail.com

147-A, खिरकी गाँव,
सेलेक्ट सिटीवाक मॉल के सामने
नई दिल्ली – 110017
फ़ोन: 011-29542507
ईमेल: afatima07@gmail

WZ- 83 बुदेल्ला, विकासपुरी
DG-2 फ्लैट्स के समीप
सामुदायिक भवन के सामने
नई दिल्ली – 110084
फ़ोन: 011-45724804 / 011-45724805
/ 011-45724806

हमारे संपर्क सूत्र

प्रवर्जन एवं आश्रयी परियोजना
बी-41, प्रथम तल, स्वामी नगर
नई दिल्ली – 110017
काम का समय – सोमवार से शुक्रवार 9.30 प्रातः से सायं 5.30 तक
फ़ोन: 9711128603 / 011-41325408
ईमेल: office@aratrust.in
वेबसाइट: www.migrationandasylumproject.org

कॉपीराइट (c) 2019: M.A.P
चित्र व रूपरेखा : पिया अलिस हजारिका

प्रवर्जन एवं आश्रयी परियोजना गैर-व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए इस
कुंजिका के अनुवाद, रूपांतरण एवं वितरण को बढ़ावा देता है